Neutral Citation No.- 2026:AHC-LKO:19968

Translated version. Not for legal use.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या– 1513/2007

गया प्रसाद ...अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – त्रिवेणी प्रसाद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :– शासकीय अधिवक्ता

निर्णय सुरक्षित : 25.02.2026

निर्णय परिदत्त : 19.03.2026

न्यायालय संख्या – 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलकर्ता गया प्रसाद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी., न्यायालय संख्या –5 लखनऊ द्वारा सत्र विचारण संख्या 340/2005, जो मुकदमा अपराध संख्या 37/99: राज्य बनाम गया प्रसाद एवं अन्य से संबंधित है जिसके द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 41/411 के अंतर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 403 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। सभी दंड साथ–साथ चलाये जाने का निर्देश दिया गया है।

3. अभियोजन वाद यह है कि दिनांक 01.02.1999 को शाम लगभग 7:35 बजे, पुलिस थाना– मड़ियांव, लखनऊ के पुलिस दल के साथ उप–निरीक्षक आनंद कुमार राय को इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास एक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मुखबिर से सूचना मिली कि रिंग रोड पर परशुराम के चाय के स्टाल के पास खड़े ट्रकों से एक गिरोह तेल चोरी कर रहा है। लगभग 8:05 बजे मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों को एक ड्रम लुढ़काते हुए भागने की कोशिश करते देखा। पुलिस ने गया प्रसाद यादव (अपीलार्थी), फरजान और मोहम्मद अली को पकड़ लिया। निरीक्षण करने पर, उनके कब्जे से लगभग 200 लीटर चोरी किये हुए डीजल से भरा हुआ टिन का ड्रम बरामद हुआ।

4. इस आरोप पर, पुलिस थाना– मड़ियांव, लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–2) दर्ज की गई थी।

5. विवेचना के दौरान विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, नक्शा–नजरी (प्रदर्श क–4) तैयार किया, साक्षियों के बयान दर्ज किए और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी गया प्रसाद यादव और अन्य सह–अभियुक्तों फरजान और मोहम्मद अली के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रदर्श क–5) प्रस्तुत किया।

6. मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया, जहाँ से इसे विधि के अनुसार विचारण हेतु सत्र परीक्षण संख्या 340/05 के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी., न्यायालय संख्या 5, लखनऊ की न्यायालय में भेजा गया।

7. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी गया प्रसाद यादव और अन्य सह–अभियुक्तों फरजान और मोहम्मद अली के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 41/411, 403 और 413 के अंतर्गत आरोप विरचित किये। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की प्रार्थना की।

8. अपने मुकदमे को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं: अभियोजन साक्षी–1 एस.आई. आनंद कुमार राय, अभियोजन साक्षी–2 कांस्टेबल सुरेंद्र यादव, अभियोजन साक्षी–3 कांस्टेबल बृजेंद्र सिंह, और अभियोजन साक्षी–4 एस.आई. तीर्थ राज सिंह (विवेचक)।

9. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी सिद्ध किए हैं:

फर्द गिरफ्तारी और बरामदगी (प्रदर्श क–1), चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–2), मुकदमा पंजीकरण की कार्बन प्रतिलिपे (प्रदर्श क–3), घटना का नक्शा नजरी (प्रदर्श क–4), आरोप–पत्र (प्रदर्श क–5)।

10. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी गया प्रसाद यादव और अन्य सह–अभियुक्तों फरजान और मोहम्मद अली के बयान दर्ज किए

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गए। अभियुक्त/अपीलार्थी गया प्रसाद यादव और अन्य सह–अभियुक्तों ने यह दावा करते हुए कि उन्हें दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया था और बरामदगी मनगढ़ंत थी, आरोपों से इनकार किया। उन्होंने अपनी बेगुनाही की दलील दी और बचाव साक्ष्य प्रस्तुत न करने का विकल्प चुना।

11. इसके पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का अभिमूल्यन करने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी गया प्रसाद यादव और सह–अभियुक्तों फरजान और मोहम्मद अली को दोषी पाया और उन्हें धारा 41/411 और 403 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया, जबकि उन्हें धारा 413 भारतीय दंड संहिता के आरोप से मुक्त कर दिया।

12. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अभियुक्त–अपीलार्थी–गया प्रसाद ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उन्होंने दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश के विरुद्ध अपील की है, लेकिन इस स्तर पर, वह मात्र दंड के संबंध में अपील पर बल देना चाहते हैं और गुण–दोष के आधार पर अपील पर बल देना नहीं चाहते हैं।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य की परिवीक्षा से संबंधित स्वयं की स्थानीय विधि है, अर्थात **उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1938**। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (केंद्रीय अधिनियम) (एतद्पश्चात 1958 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) भी उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; (2017) 2 एससीसी 198** के वाद में धारित किया है। इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह अभिकथन प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह किसी भी अधिनियम में लाभ प्रदान करे।

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि घटना 26 वर्ष पूर्व हुई थी और अपीलार्थी गया प्रसाद के विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक पूर्ववृत नहीं है। अपीलार्थी–गया प्रसाद की आयु लगभग 57 वर्ष है और उन्हें पहली बार अपराधी होने के कारण वर्ष 1958 के अधिनियम का लाभ प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी पहली बार का अपराधी है और वह पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह न्यायालय अभियुक्त–अपीलार्थी को 1958 के अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किये जाने पर विचार कर सकता है।

16. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया है और यह कथन प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई भौतिक अनियमितता या अवैधता नहीं की गई है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के दृष्टिगत अभियुक्त–अपीलार्थी को उचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

17. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वर्ष 1958 के अधिनियम की धारा 4 का लाभ अभियुक्त–अपीलार्थी को 1958 के अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट कुछ शर्तों पर प्रदान किया जा सकता है।

18. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार करने से पूर्व, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4 को उद्धृत करना उपयोगी है:

3. कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति:– जब कोई व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या धारा 404 या धारा 420 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अथवा भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अनधिक के लिए कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं होती है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है ध्यान रखते हुए ऐसा करना समीचीन है जब तव तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे दंडित करने या उसे धारा 4 के अधीन सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के बजाय उसे सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के अन्तर्गत इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश भी है।

4. कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति (1) जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को जिनके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर छोड़ देना समीचीन हो तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरन्त दंडित करने के बजाय, निदेश दे सकेगा कि उसे, प्रतिभुओं के सहित या उनके बिना, उसके द्वारा ऐसा बंधपत्र देने पर छोड़ दिया जाए कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा :

परन्तु न्यायालय किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निदेश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि अपराधी या उसके प्रतिभू का, यदि कोई हो, नियत निवास-स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है, जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वह बंधपत्र निष्पादित करता है।"

19. वर्ष 1958 के अधिनियम की धारा 4 वहां लागू होती है जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसमें दंड न तो आजीवन कारावास है और न ही मृत्युदंड। न्यायालय ऐसे अभियुक्त को धारा में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत करने पर सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। इस धारा के प्रावधानों को लागू करने में न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करने से पूर्व मामले की परिस्थितियों, अपराधी के चरित्र और अपराध की प्रकृति पर विचार करना भी आवश्यक है।

20. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्ष 1958 के अधिनियम की धारा 4 के लाभ प्रदान करने की प्रार्थना का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक स्थिति और विधि पर चर्चा करना आवश्यक है।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***रतन लाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1965 एससी 444*** में, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उद्देश्य और ध्येय पर चर्चा करते हुए, पैरा संख्या 4 में निम्नवत टिप्पणी की है:

"4. यह अधिनियम दंडशास्त्र के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह उस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक विधि का उद्देश्य अपराधी को दंड देने से अधिक उसमें सुधार करना है। मोटे तौर पर यह अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों और उस आयु से ऊपर के अपराधियों, और उन अपराधियों जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी हैं और जो कम अपराध के दोषी हैं,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के बीच अंतर करता है। जबकि उन अपराधियों के मामले में जो 21 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं, न्यायालय को अधिनियम के समुचित प्रावधान में प्रतिपादित शर्त के अधीन, उन्हें भर्त्सना के बाद या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का पूर्ण विवेक दिया गया है, 21 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों के मामले में न्यायालय को यह आदेश जारी किया गया है कि वह उन्हें कारावास की सजा न दे जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्र सम्मिलित है, को देखते हुए उनके मामले पर धाराओं 3 और 4 के अंतर्गत विचार करना वांछनीय नहीं है।"

22. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***वेद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (1981) 1 एससीसी 447: एआईआर 1981 एससी 643*** के मामले में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अनुपालन के संबंध में न्यायपीठ और बार के कर्तव्य पर चर्चा करते हुए निम्नवत टिप्पणी की:

"वह अपराध, जिसके लिए दोषसिद्धि की गई है, वह है जो धारा 360 या कम से कम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 द्वारा आकर्षित होगा। हमारे सामने मौजूद सामग्री अधूरी है क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपने दंड प्रदान करने के कार्यों के निर्वहन में सतही व्यवहार किया है। हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि किसी अभियुक्त को दंड प्रदान करना विवेक की संवेदनशील प्रक्रिया है न कि मात्र अंतर्ज्ञान पर कार्य करने वाला कोई नियमित या यांत्रिक नुस्खा। विचारण न्यायालय को परिस्थितियों में उचित दंड देने में सहायक आवश्यक सामग्री एकत्र करनी चाहिए थी। अपराध करने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत कारक अत्यधिक प्रासंगिक हैं, हालांकि व्यवहार में आपराधिक न्यायालयों ने शायद ही कभी अपराधी के सामाजिक परिवेश या व्यक्तिगत परिस्थितियों पर ध्यान दिया हो। भले ही धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता आकर्षित न हो, दंड प्रदान करने वाले न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ दंड पर प्रभाव डालने वाले तथ्यों को एकत्र करने के लिए पर्याप्त सक्रिय रहे। वर्तमान मामले में ऐसी सामग्रियों की अनुपस्थिति ने हमें अधिवक्ता द्वारा भी बहुत कम सहायता प्राप्त होने दी है। वास्तव में बार के सदस्य भी इन विधायी प्रावधानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं जो एक अपराधी के मामले पर इस प्रकार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

विचार करने से संबंधित हैं कि वह एक 'गैर–अपराधी' बन जाए। हम इस पर बल इसलिए देते हैं क्योंकि दंड में सुधार से संबंधित विधि को 'लघु अधिनियम' (Minor Acts) माना गया है और इसलिए, इसका बहुत कम महत्व है। यह पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है और भले ही बार सहायता न करे, पीठ को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जैसे अधिनियमों में निहित दंड के मानवीकरण लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए।"

23. यह भी उल्लेखनीय है कि इस माननीय न्यायालय ने ***सुभाष चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 लॉ सूट (इलाहाबाद) 1343*** के मामले में, परिवीक्षा विधि को लागू करने और उपयुक्त मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों को लाभकारी विधि का लाभ देने की आवश्यकता को प्रभावी रूप से प्रतिपादित किया है। इस न्यायालय ने सभी विचारण न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

"ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त लाभकारी विधान को विस्मृत कर दिया गया है और यहां तक कि न्यायाधीश भी विधि के इस प्रावधान को व्यावहारिक रूप से भूल गए हैं। इस प्रकार, मामले का समापन करने से पूर्व, इस न्यायालय का विचार है कि यदि विचारण न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों के लिए सतर्कता संबंधी शब्द नहीं लिखे गए, तो मैं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहूंगा। इस न्यायालय के महा निबंधक को इस निर्णय की प्रति उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है, जो अंततः अपने अधीन काम करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों के मध्य इस आदेश की प्रति का प्रसार सुनिश्चित करेंगे और इस निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। राज्य के जिला न्यायाधीशों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे मामलों पर विचार करने वाले सभी न्यायालयों, अर्थात विचारण न्यायालयों और अपीलीय न्यायालयों से हर माह रिपोर्ट मांगें और यह बताएं कि कितने मामलों में अभियुक्तों को उपरोक्त प्रावधानों का लाभ दिया गया है। जिला न्यायाधीशों को प्रत्येक मासिक बैठक में व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों की निगरानी करने का भी निर्देश दिया जाता है। संबंधित जिला न्यायाधीश महा निबंधक को मासिक विवरण भेजेंगे कि विचारण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय ने कितने मामलों में अभियुक्तों को उपरोक्त लाभकारी विधि का लाभ प्रदान किया है। तत्काल अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति महानिबंधक के समक्ष प्रस्तुत की जाए।"

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

24. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***महाराष्ट्र राज्य बनाम जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनंद (2004) 7 एससीसी 659*** में अपीलकर्ताओं को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया है, और निम्नवत टिप्पणी की है:–

"अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया कि दुर्घटना वर्ष 1990 की है। पक्षकार शिक्षित और पड़ोसी हैं। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया जा सकता है। अभियुक्त की ओर से की गई प्रार्थना उचित प्रतीत होती है। दुर्घटना दस वर्ष से अधिक पुरानी है। विवाद पड़ोसियों के बीच नाली साफ करने के मामूली बिंदु को लेकर था। दुर्घटना क्रोधवश घटित हुई। सभी पक्षकार शिक्षित हैं और दूर के संबंधी भी हैं। दुर्घटना ऐसी नहीं है कि अभियुक्त को कारावास की सजा भुगतने के लिए निर्देशित किया जाए। हमारी राय में, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अभियुक्त को एक वर्ष के अच्छे व्यवहार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश देकर परिवीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए।"

25. सीताराम पासवान और अन्य बनाम बिहार राज्य एआईआर 2005 एससी 3534 में अभियुक्त/अपीलकर्ता को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देने की वांछनीयता के बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया:–

" विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र पर विचार करना होता है। अपराध की प्रकृति पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की गंभीरता और पीड़ित पर अपराध के प्रभाव का यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत अभियुक्त को उपलब्ध लाभ प्रावधानों में निहित सीमा के अधीन है और "सकेगा" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र और मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके अपराधी को रिहा करना है या नहीं, यह विवेक न्यायालय में निहित है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत शक्तियां न्यायालय में तब निहित होती हैं जब किसी व्यक्ति को किए गए ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालयों द्वारा

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्ति को दोषी पाते समय किया जा सकता है और यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र सम्मिलित है, को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को लाभ दिया जाना चाहिए, तब इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा अपीलीय या पुनरीक्षण चरण में और इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील की सुनवाई के दौरान भी किया जा सकता है।"

26. यह भी उल्लेखनीय है कि, ***मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 2017 एससी पृष्ठ 660*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:–

"20–.........रतन लाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1965 एससी 444 में, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने बहुमत के पक्ष से विचार व्यक्त करते हुए कहा:–

"यह अधिनियम दंड विज्ञान के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है। यह इस सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक विधि का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने के बजाय उसे सुधारना अधिक है। मोटे तौर पर, अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों और उस आयु से ऊपर के अपराधियों, और उन अपराधियों के बीच अंतर करता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के दोषी हैं और वे जो हलके अपराध के दोषी हैं। जबकि 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों के मामले में न्यायालय को अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों में विहित शर्तों के अधीन उन्हें भर्त्सना के बाद या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने का पूर्ण विवेक दिया गया है, 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के मामले में न्यायालय को एक निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वह उन्हें कारावास की सजा न दे जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए; जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधियों का चरित्र शामिल है, उनके मामले पर अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन विचार करना वांछनीय नहीं है।"

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***जगत पाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2000 एससी 3622*** के मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 452, 506 के अंतर्गत अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया है और छह माह की अवधि के लिए अच्छे व्यवहार और शांति बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष बंधपत्र निष्पादित करने पर अभियुक्तों को रिहा कर दिया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

28. यह उल्लेखनीय है कि कथित घटना वर्ष 1999 में बहुत पहले हुई थी। अभियुक्त–अपीलार्थी–गया प्रसाद पिछले 26 वर्षों से मामले में पीड़ित रहा है और अपीलार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक पूर्ववृत नहीं है। इस समय अपीलार्थी की आयु 57 वर्ष है।

29. मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी यह राय है कि वर्ष 1958 के अधिनियम के प्रावधान का लाभ अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रदान किया जाना चाहिए।

30. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, जहाँ तक यह धारा 41/411 और 403 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपीलार्थी–गया प्रसाद की दोषसिद्धि से संबंधित है, उसे बरकरार रखा जाता है लेकिन दंड को **संशोधित** किया जाता है। अपीलार्थी–गया प्रसाद को जेल भेजने के बजाय, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाता है और उसे निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष अपने व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ 20,000/– रुपये की दो–दो जमानतें दाखिल करे और इस आशय का एक वचनपत्र भी दे कि वह आज से दो वर्ष की अवधि के दौरान शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखेफा। उक्त बंधपत्र अपीलार्थी द्वारा इस निर्णय की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर दाखिल किया जाना है।

31. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अपीलार्थी–गया प्रसाद को हिरासत में ले लिया जाएगा और उसे प्रदान किया गया दंड भुगतना होगा।

32. उपरोक्त संशोधन के साथ, वर्तमान आपराधिक अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।

33. आदेश की प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को भी भेजी जाए।

34. कार्यालय को आवश्यक अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को यह आदेश संसूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

35. विचारण न्यायालय का अभिलेख, यदि कोई हो, उसे भी संबंधित जिला न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)

19 मार्च, 2026

अरविन्द

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।